

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.1(1)चि.स्वा./2/2020

जयपुर, दिनांक : 18.05.2021


जिला कलक्टर,
जोधपुर एवं जयपुर।

विषय:- जोधपुर एवं जयपुर वॉर काउन्सिल के भवनों को अधिवक्ताओं एवं उनके परिवारजनों के लिए आइसोलेशन सेन्टर बनाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि जोधपुर एवं जयपुर में स्थित वॉर काउन्सिल के भवनों को वॉर काउन्सिल के अध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधियों से चर्चा कर अधिवक्ताओं एवं उनके परिवारजनों के लिए आइसोलेशन सेन्टर के रूप में शीघ्र विकसित कर इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. अध्यक्ष वॉर काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर
9. मिशन निदेशक, एन. एच. एम., मुख्यालय, जयपुर
10. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर



शासन उप सचिव